अग्रतम
• इंडिया •

निर्मल भारत अभियान –मनरेगा योजनान्तर्गत वैयक्तिक शौचालय निर्माण की प्रक्रिया

1. ग्राम पंचायत की आम सभा द्वारा निर्मल भारत अभियान–मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में वैयक्तिक शौचालय निर्माण योजना को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा से पारित प्रस्ताव को संलग्न करते हुए उप विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3. उप विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा मुखिया एवं पंचायत सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत प्राप्य प्रोत्साहन राशि संधारित की जाएगी।

4. वैयक्तिक शौचालय निर्माण के लिए इच्छुक परिवार के प्रधान (लाभुक) द्वारा जॉब कार्ड बनाने हेतु रोजगार सेवक/मुखिया को आवेदन दिया जाएगा।

5. लाभुक द्वारा निकटस्थ बैंक में बैंक खाता खोला जाएगा।

6. मनरेगा के अन्तर्गत निजी वास भूमि पर कार्य के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में लाभुक द्वारा रोजगार सेवक/मुखिया को आवेदन दिया जाएगा।

7. ग्राम पंचायत द्वारा उप विकास आयुक्त कार्यालय से ई–मस्टर रॉल निर्गत कराया जाएगा।

8. प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा ई–मस्टर रॉल को हस्ताक्षरित कर ग्राम पंचायत को वापस किया जाएगा।

9. ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक द्वारा वैयक्तिक शौचालय के निर्माण हेतु अभिलेख खोला जाएगा।

10. ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा रोजगार सेवक को अभिकर्ता नियुक्त करते हुए कार्य आदेश निर्गत किया जाएगा।

11. रोजगार सेवक द्वारा लाभुक को स्पष्ट किया जाएगा कि चार दिनों के कार्य के लिए दो मजदूरों को 1296 रुपए एवं तीन दिनों के कार्य के लिए राजमिस्त्री को 618 रुपए, कुल 1914 रुपए का भुगतान मजदूरी अंश में मनरेगा द्वारा सीधे इन कर्मियों को किया जाएगा। 4500 रुपए में शेष 2586 रुपए का भुगतान सामग्री (मुख्यतः ईंट) आपूर्त्तिकर्ता को किया जाएगा।

12. शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत प्राप्य प्रोत्साहन राशि की मांग जिला जल एवं स्वच्छता समिति से की जाएगी।

13. शौचालय का निर्माण पूर्ण हो जाने पर निर्मल भारत अभियान से प्राप्य 4600 रुपए प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु लाभुक द्वारा मुखिया से अनुरोध किया जाएगा। इस अनुरोध पत्र के साथ मजदूरों, राजमिस्त्री एवं ईंट आपूर्तिकर्ता के नाम, ईंट आपूर्ति का वाउचर तथा निर्मित शौचालय के साथ अपना फोटो उपलब्ध कराया जाएगा।

14. पंचायत तकनीकी सहायक एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नियुक्त प्रखंड पर्यवेक्षक द्वारा निर्मित शौचालय का निरीक्षण कर सरकार द्वारा निर्गत मापी प्रपत्र में यह अभिप्रमाणित किया जाएगा कि निर्माण संतोषजनक/अच्छा है।

15. मजदूरों/राजमिस्त्री/ईंट आपूर्तिकर्ता को देय राशि का भुगतान मुखिया/रोजगार सेवक द्वारा उनके बैंक खाता में किया जाएगा।

16. रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा की राशि के भुगतान के बाद योजना अभिलेख को पंचायत सेवक को हस्तांतरित करते हुए यह परामर्श दिया जाएगा कि 4600 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुक को किया जाए।

17. पंचायत सेवक द्वारा लाभुकों के खाता में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित किया जाएगा एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्मल भारत अभियान मद में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

18. क्रमांक 14 पर उल्लिखित प्रक्रिया का उल्लेख अभिलेख में करने के पश्चात् पंचायत सेवक द्वारा अभिलेख को रोजगार सेवक को वापस लौटाया जाएगा।

19. रोजगार सेवक द्वारा अभिलेख को कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।